न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 01/2022 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2022/0056) व इजलासः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

नन्नू सिंह पुत्र श्री बाबू (मृतक)
1. महेश
2. महावीर सिंह } पुत्रगण नन्नू सिंह
3. प्रकाशी पत्नी स्व0 नन्नू सिंह

} जातियान जाट नि0 जनूथर तहसील जनूथर(डीग)

4. सतीजा पुत्री स्व0 नन्नू सिंह पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट नि0 सुभाष नगर फरीदाबाद(हरियाणा)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)
2. राजू पुत्र चतरी
3. हरदेव पुत्र चतरी
4. गीता पुत्री चतरी
5. कुमरपाल
6. परभाती
7. फूल सिंह
8. श्याम सिंह

} पुत्रगण बलराम

9. लेखराज
10. प्रेम सिंह
11. सुरेश

} पुत्रगण गद्दन

12. श्रीमति मुकट पत्नी स्व0 गद्दन
13. साहब सिंह पुत्र घण्टोली
14. लक्ष्मण पुत्र रामजीलाल
15. तेज सिंह पुत्र रामजीलाल
16. मुकेश पुत्र गिलहरी

} (2 से 16) जातियान जाट नि0 ग्राम जनूथर तहसील जनूथर

—अप्रार्थीगण

17. कमल दत्तक पुत्र मिहीलाल प्राकृतिक पुत्र मनोहरी
18. चेतन
19. लक्ष्मन
20. होती

} पुत्रगण मनोहरी

21. बच्चू पुत्र बाबू

} जातियान जाट नि0जनूथर तह0 जनूथर जिला डीग

—फोरमल अप्रार्थीगण

22. प्रेम पत्नी स्व0 चतरी जाति जाट नि0 ग्राम जनूथर तहसील डीग
23. ग्राम पंचायत जनूथर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जनूथर
24. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जनूथर तहसील जनूथर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 09.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 2915/2/0.03, 2916/2/0.03, 2917/2/0.02 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। जोकि डीग से जनूथर जाने वाली मुख्य सडक के वतरफ पश्चिम में स्थित है। जिसमें प्रार्थी द्वारा चारों ओर से बाउण्ड्रीवाल की जाकर प्रार्थीगण नौहरे के रूप में उपयोग में लेता चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण के कृषि उपकरण,खाद कुट्टी की मशीन आदि रखे हुए है तथा प्रार्थी काबिज है तथा प्रार्थी उक्त आराजी में स्थित नौहरे को अपने उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। उक्त नौहरे के वतरफ पश्चिम अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जोकि खसरा नम्बरान 2915, 2916, 2917 का भाग है जिसमें उक्त अप्रार्थीगण का प्रार्थी के कब्जे की आराजी में स्थित नौहरा(गौत)जो कि खसरा नम्बर 2915/2, 2916/2, 2917/2 वाके ग्राम जनूथर में स्थित है से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 16 का कोई कब्जा उक्त आराजी में स्थित नौहरा पर है। अप्रार्थी संख्या 01 जोकि राज0 सरकार के प्रतिनिधि है,के द्वारा राजस्व नक्सा को ऑनलाईन करने के लिए नक्सा को कम्यूटर में फीड करते समय गलत तरीके से प्रार्थी की खातेदारी के गौत के स्थान ख0नम्बर 2915/2/0.03 हैक्टेयर को 3707/2915/0.03 बनाते अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के पिता चतरी के नाम तथा ख0नम्बर 2916/2/0.03 हैक्टेयर के स्थान को ख0 नम्बर 3709/2916 बनाते हुए अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 08 व अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 12 के पिता व पति गद्दन व अप्रार्थी संख्या 13 के पिता घण्टोली व अप्रार्थी संख्या 14,15 के नाम तथा खसरा नम्बर 2917/2/0.02 हैक्टेयर के स्थान को खसरा नम्बर 3711/2917/0.12 बनाते हुए खसरा नम्बर 3711/2917 अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 के नाम दर्ज कर दिया। जबकि खसरा नम्बरान 3707/2915/0.03, 3709/2916/0.03, 3712/2915/0.02,वाले भूखण्ड नौहरा पर प्रार्थी का पूर्व से ही ख0 नम्बर 2915/2, 2916/2, 2917/2 के अनुसार कब्जा है तथा बाउण्ड्रीवाल पुख्ता बनी हुई है। प्रार्थी के नाम मौके के विपरीत खसरा नम्बर 3708/2915, 3710/2916, 3712/2917 वाले नक्सा में प्रदर्शित स्थान दर्ज राजस्व रिकार्ड कद दिये जोकि गलत व गैर कानूनी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी के नौहरा जोकि डीग से जनूथर सडक के वतरफ पश्चिम स्थित है का नक्सा दुरूस्त कर नक्सा में खसरा नम्बरान 3708/2915/0.03, 3710/2916/0.03, 3712/2916/0.02 किस्म गैर मुमकिन आबादी स्थित ग्राम जनूथर तहसील जनूथर को पूर्वानुसार यथा स्थान दर्ज करें तथा खसरा नम्बरान 3710/2915, 3709/2916, 3711/2917 वाके ग्राम जनूथर जोकि अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उन्हें

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान 3708/2915/0.03, 3710/2916/0.03, 3712/2916/0.02 किस्म गैर मुमकिन आबादी स्थित ग्राम जनूथर तहसील जनूथर के वतरफ पश्चिम यथा स्थान नक्सा में दर्ज करें और नक्सा संशोधित कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 एवं फोरमल अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 21 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार जनूथर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जनूथर ने पत्रांकः राजस्व/2024/210 दिनांक 24.04.2024 में अंकित किया गया है कि " खसरा नम्बर 3707/2915/0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम पंचायत जनूथर हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 3708/2915/0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी राजस्व रिकार्ड अनुसार चेतन,लक्ष्मन,होती पिस. मनोहरी हि. व. 1/3 जाति जाट सा. जनूथर खातेदार प्रकाशी पत्नी नन्नूराम,महेश,महावीर सिंह पिस. नन्नूराम,सतीजा पुत्री नन्नूराम हि. व. 1/6 जाति जाट सा. जनूथर खातेदार कमल पुत्र मनोहर हि0 1/3 जाति जाट सा. जनूथर खातेदार बच्चू पुत्र बाबू हि0 1/6 जाति जाट सा.जनूथर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरों में वर्तमान में ग्राम पंचायत जनूथर द्वारा सीमेन्टेड ईटों का खरंजा डाला जा चुका है। वर्तमान में ये रास्ता आमजन के आवागमन के लिए काम में लिया जा रहा है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जावे। प्रार्थी की कब्जे व खातेदारी के नौहरा जोकि डीग से जनूथर सडक के वतरफ पश्चिम स्थित है का नक्सा दुरूस्त कर नक्सा में ख0 नम्बरान 3708/2915/0.03, 3710/2916/0.03, 3712/2916/0.02 किस्म गै0मु0 आबादी स्थित ग्राम जनूथर को पूर्वानुसार यथावत दर्ज करें तथा ख0न0 3710/2915, 3709/2916, 3711/2917 वाके ग्राम जनूथर जोकि अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है,उन्हें प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान 3708/2915/0.03, 3710/2916/0.03, 3712/2916/0.02 किस्म गै0मु0 आबादी स्थित ग्राम जनूथर के वतरफ पश्चिम यथा स्थान नक्सा में दर्ज करें और उपरोक्तानुसार नक्सा संशोधित कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 16 एवं फोरमल अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 21 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 23 लगायत 24 के द्वारा जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि खसरा नम्बर 2916/2/0.03 से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है, यह भूमि खसरा नम्बर 3707/2915/0.03 अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक सम्पत्ति थी जो राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 के पिता चतरी के नाम दर्ज थी और इस

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

आराजी पर वर्तमान में ग्राम पंचायत जनूथर का कब्जा है जिसे अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 से दानपत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्व अभिलेख के किसी दस्तावेज में परिवर्तन नहीं किया गया है और ना ही गलत तरीके से कम्प्यूटर में ऑनलाईन नक्सा फीड करते हुए कोई त्रुटि की गई है। खसरा नम्बर 3707/2915/0.03 की बावत सिविल कोर्ट में कोई विवाद विचाराधीन नहीं है,जिस दावा का उल्लेख प्रार्थी द्वारा वादपत्र में किया गया है अन्य भूमि है तथा विवादित है। प्रार्थी अकेले के हिस्से में यह भूमि बंटवारे में आई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 के हिस्सा की थी और अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 ने अपने हिस्सा की उक्त भूमि को ग्राम पंचायत जनूथर को जरिये दानपत्र दे दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष कानूनन प्रदान किया जाना संभव नहीं है प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3707/2915/0.03 पर खातेदारी चाही गई जोकि डिक्लेरेशन के दावा में प्रदान की जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट मैण्टेनेबिल नहीं है। खसरा नम्बर 3707/2915/0.03 अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक सम्पत्ति है। जिस अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 काबिज थे जिन्होंने उक्त भूमि को ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग हेतु अप्रार्थीगण संख्या 23,24 ग्राम पंचायत जनूथर को जरिये दानपत्र में दे दिया है तथा प्रार्थी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी का नौहरा इस भूमि से सटा हुआ है जोकि अन्य खसरा नम्बर में स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के द्वारा सुनवाई के दौरान नकल जमाबन्दी सम्बत 2073–2076,नक्सा अक्स,नकल जमाबन्दी सम्बत 2069–2072,फोटो प्रति नक्सा ट्रेस हाल ग्राम जनूथर,फोटो प्रति आदेश दिनांक 28.12.1990 दावा उनवानी बाबू बनाम मनोहरी वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग, नकल जमाबन्दी सम्बत 2021–2024,नकल गत नक्सा, दानपत्र प्रति, फोटो प्रति मौखिक बंटवारा नामा प्रति पेश किये गये तथा कानूनी द्रष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आर.एल.डब्ल्यू. 2017(2) राजेन्द्र सिंह वगै0 बनाम सतवीर सिंह वगै0 पेज संख्या 777 निर्णय दिनांक 08.03.2017, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर बनाम रतनलाल पेज संख्या 34,35, एवं माननीय उच्च न्यायालय 2023 (2) आर.आर.टी. 1399 के निर्णय दिनांक 25.08.2023 उनवानी Urban Improvement Trust, Udaipur Vs. Ratanlal & Ors.पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट एवं कानूनी द्रष्टांत अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट मैण्टेनेबिल नहीं होने तथा राजस्व रिकार्ड के अभाव में नियमानुसार सावित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट, मैण्टेनेबिल नहीं होने तथा राजस्व रिकार्ड के अभाव में नियमानुसार सावित नहीं होने से **अस्वीकार/खारिज किया जाता है।**

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.